न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, दौसा

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
01.08.2025	प्रार्थना पत्र स्थानान्तरण संख्या 47/2025 सुखपाल बनाम बीला देवी व अन्य अधिवक्ता प्रार्थी श्री किशनसिंह गुर्जर उपस्थित। अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 1, 2, 5 की ओर से अधिवक्ता श्री अमरसिंह गुर्जर उपस्थित। अधिवक्तागण उभयपक्ष की बहस सुनी गई। अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा बहस के दौरान निवेदन किया गया कि प्रार्थना पत्र स्थानान्तरण में प्रार्थी ने वादीगण बीला देवी व सुआ के वारिसानों को ही पक्षकार बनाकर प्रार्थना पत्र पेश किया है जबकि अधीनस्थ न्यायालय में प्रार्थी के अलावा प्रतिवादी सं. 1 लगा. 26 व प्रतिवादी सं. 28 लगा. 32 भी पक्षकार हैं। उक्त सभी व्यक्तियों को प्रार्थना पत्र स्थानान्तरण में बतौर अप्रार्थीगण पक्षकार प्रतिस्थापित फरमाया जाना आवश्यक है। अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 1 नियम 10(2) स्वीकार फरमावें। अधिवक्ता अप्रार्थी सं. 1, 2 व 5 द्वारा जवाब बहस में निवेदन किया गया कि अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 1 नियम 10(2) सपठित धारा 151 सीपीसी संधारण किये जाने योग्य नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय में विचाराधीन तकास्मा प्रकरण 5 वर्ष से चल रहा है। प्रार्थी को प्रार्थना पत्र स्थानान्तरण में अन्य पक्षकार को शामिल करते हुए ही प्रार्थना पत्र स्थानान्तरण पेश किया जाना चाहिये था। किन्तु प्रकरण प्रार्थना पत्र अन्तर्गत को लम्बित रखने के उद्देश्य से अब प्रार्थना पत्र आदेश 1 नियम 10(2) पेश किया गया है। अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आदेश 1 नियम 10(2) खारिज फरमावें। अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा पुनः बहस में निवेदन किया कि अप्रार्थी वादीगण बीलादेवी व सूआ देवी द्वारा प्रार्थी व अन्य खातेदारान प्रतिवादीगण पक्षकार के विरूद्ध न्यायालय उप जिला कलक्टर बांदीकुई में मु.नं. 137/2019 उनवान बीला आदि बनाम कंचन आदि वाद तकास्मा एवं स्थाई निषेधाज्ञा का ग्राम सुमेल कलां तहसील बसवा में स्थित खाता सं0 नया 136 पुराना 156 एवं खाता सं. 137 नया पुराना 155, खाता सं. 139 नया पुराना 153 की आराजीयात के सम्बन्ध में पेश किया गया था। उक्त प्रकरण में वर्तमान में न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) बांदीकुई में विचाराधीन है। पीठासीन अधिकारी न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) बांदीकुई की कार्यशैली एवं उनके व्यवहार से प्रार्थी को ऐसा प्रतीत हुआ कि पीठासीन अधिकारी अप्रार्थी वादीगण को लाभ पहुंचाना चाहते हैं तथा वादी द्वारा प्रस्तुत प्रकरण को विधि प्रक्रिया के विपरीत जाकर डिक्री करना चाहते हैं। किन्तु प्रार्थी को यकीन तब हुआ जब गांव के कुछ लोगों ने प्रार्थी को बताया कि बीला के पुत्र कुम्हेर ने गांव में चन्द लोगों से यह कहा है कि उसकी पीठासीन अधिकारी से बात हो गई है वह उक्त प्रकरण को उनके हक में तकास्मा की डिक्री पारित कर देंगे। अप्रार्थी सं. 1 के पुत्र कुम्हेर को पीठासीन अधिकारी के चैम्बर में बातें करते देखा है। पीठासीन अधिकारी अप्रार्थी को सदोष लाभ पहुंचाने पर आमादा है। अधीनस्थ न्यायालय के पीठासीन अधिकारी से प्रार्थी को न्याय की कोई उम्मीद नहीं है। इसलिये प्रार्थना पत्र स्थानान्तरण स्वीकार किया जाकर प्रकरण को न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) बांदीकुई से अन्य सक्षम न्यायालय में स्थानान्तरित करने के आदेश फरमावें।	

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

अधिवक्ता अप्रार्थी सं. 1, 2 व 5 द्वारा जवाब बहस में निवेदन किया गया कि अधीनस्थ न्यायालय में दिनांक 27.1.2025 को कुर्रेजात प्राप्त हो चुके है तथा पक्षकारान को आपत्ति पेश करने का अवसर दिया गया है। प्रार्थी द्वारा इस न्यायालय में प्रार्थना पत्र स्थानान्तरण पेश करने का एकमात्र उद्देश्य किसी भी प्रकार से प्रकरण में लम्बित रखना है। प्रार्थी ने पत्रावली को अन्य न्यायालय में स्थानान्तरित करवाने एवं प्रकरण में विलम्ब करने के उद्देश्य से पीठासीन अधिकारी पर निराधार झूंठे आरोप लगाकर यह प्रार्थना पत्र स्थानान्तरण पेश किया गया है। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्थानान्तरण में लगाये गये आरोपों के सम्बन्ध में कोई साक्ष्य सबूत भी पेश नहीं किये गये हैं। इसलिये प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्थानान्तरण खारिज फरमावें।

सहायक कलक्टर(फास्ट ट्रेक) बांदीकुई से प्राप्त रिपोर्ट में अंकितानुसार उनवानी प्रकरण बीलादेवी बनाम कंचन न्याायलय उपखण्ड अधिकारी बांदीकुई से स्थानान्तरित होकर न्यायालय हाजा में शीघ्र सुनवाई हेतु प्राप्त हुआ है, जिसमें कुर्रेजात प्राप्त हो चुके है तथा प्रकरण कुर्रेजात पर आपत्ति पेश करने के लिये नियत है। प्रार्थी द्वारा प्रकरण में विलम्ब करने की नीयत से आरोप लगाये गये हैं। जो निराधार व झूठे हैं। फिर भी उक्त प्रकरण को अन्य न्यायालय में स्थानान्तरित किया जाता है तो कोई आपत्ति नहीं है। कुरेजात पेश होने पर दोनों पक्षों को सुनने के बाद साक्ष्य/सबूतों के आधार पर निर्णय किया जाना है। प्रार्थीगण द्वारा प्रार्थना पत्र स्थानान्तरण केवल प्रकरण में देरी करने की नीयत से पेश किया गया है। न्यायालय सहायक कलक्टर बांदीकुई फास्ट ट्रेक है इसलिये सभी प्रकरणों में नजदीक की तारीख पेशी नियत की जाती है। प्रार्थीगण द्वारा लगाये गये आरोप गलत हैं। फिर भी प्रकरण को अन्य न्यायालय में स्थानान्तरित किया जाता है तो कोई आपत्ति नहीं है।

उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रार्थी अधीनस्थ न्यायालय में अप्रार्थी पक्षकार है तथा अप्रार्थी पक्षकारान में से मात्र प्रार्थी सुखपाल द्वारा ही प्रार्थना पत्र स्थानान्तरण पेश किया गया है। अन्य अप्रार्थीगण द्वारा प्रकरण में पक्षकार बनने हेतु प्रार्थना पत्र पेश नहीं किया गया है। प्रार्थी स्वयं द्वारा ही अब प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 1 नियम 10(2) सीपीसी पेश किये जाने का औचित्य नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय में विचाराधीन प्रकरण आपत्ति कुर्रेजात पर नियत है। प्रार्थी द्वारा अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) बांदीकुई में विचाराधीन प्रकरण उनवानी बीलादेवी बनाम कंचन वगैरा को लम्बित रखने के उद्देश्य से प्रार्थना पत्र स्थानान्तरण पेश किया जाना प्रतीत होता है। पीठासीन अधिकारी पर लगाये गये आरोपो के सम्बन्ध में भी कोई साक्ष्य, सबूत पेश नहीं किये गये है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्थानान्तरण सारहीन होने से खारिज किया जाता है। निर्णय की प्रमाणित प्रति अधीनस्थ न्यायालय न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट्र ट्रेक) बांदीकुई को भिजवाई जावे। पत्रावली फैसल शुमार की जाकर प्रविष्ठ अभिलेखागार की जावे। निर्णय आज दिनांक 01.08.2025 को मेरे द्वारा खुले न्यायालय में सुनाया गया।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

(रामस्वरूप चौहान)
अति. जिला कलक्टर,दौसा